

Proposal Name: Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) -to Shamli (End at its junction with Existing 39+300 of SH- 12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh Package -1(0.000 to 35.580)".

Proposal No. FP/UP/ROAD/147898/2021

राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण आदि के भाग/हिस्सा के सम्बन्ध में
प्रामाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार की परियोजना क्रियान्वयन इकाई पी0आई0यू0 बागपत। जनपद शामली के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709AD पैकेज-1 के कि0मी0 34.500 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.111 हे0 संरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग/हिस्सा नहीं है तथा उक्त प्रयोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि/दूरी के अन्तर्गत कोई सेन्चुरी क्षेत्र नहीं पड़ता है।

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

शामली।
प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली